कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /मा0चि0/2009/...79/ 116 भोपाल, दिनांक 2/2/09

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
   (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश।
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी,
   (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश।
3. समस्त कार्य आयोजना अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– कार्य आयोजना में वन अतिक्रमण भूमि से संबंधित जानकारी समावेश करने बाबत्।

संदर्भः– कार्य आयोजना में अतिक्रमण से संबंधित जानकारी समावेश करने के लिये विषय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 05.11.08 की कार्यवाही विवरण।

———000———

कार्य आयोजना अधिकारी संबंधित वनमंडल के स्टॉक मैपिंग के समय वन भूमि पर पाई जाने वाली अतिक्रमण की स्थिति से संबंधित जानकारी भी एकत्रित करते है। प्रायः देखने में आया है कि कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा एकत्रित अतिक्रमण की जानकारी तथा वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा प्रदाय जानकारी में भिन्नता रहती है। वन भूमि अतिक्रमण की जानकारी का कार्य आयोजना में समावेश से संबंधित निर्णय आम तौर पर **द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन** पर लिया जाता रहा है, जिससे विभिन्न कार्य आयोजना में भिन्न–भिन्न निर्णय लेने की सम्भावना बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में कार्य आयोजना अभिलेख में वन भूमि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी समादेश करने के विषय में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. कार्य आयोजना अधिकारी स्टॉक मैपिंग शुरू करने के पूर्व परिक्षेत्रवार अतिक्रमण से संबंधित जानकारी वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय से प्राप्त करेगें। वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय यह जानकारी कक्षवार, अतिक्रमण की स्थिति अतिक्रमण का क्षेत्रफल का समावेश करते हुए नक्शे पर अंकित कर कार्य आयोजना अधिकारी को प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन के पूर्व कार्य आयोजना कक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र (35 बिन्दुओं) की जानकारी के साथ प्रदाय करेगें।
2. कार्य आयोजना अधिकारी स्टॉक मैपिंग के दौरान वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय द्वारा उपलब्ध कराई गयी अतिक्रमित वन क्षेत्र की जानकारी का मौके पर परीक्षण करेगें, तथा अन्य ऐसे वन क्षेत्र जो स्टॉक मैपिंग के दौरान अतिक्रमण क्षेत्र पाये गये है, को सम्मिलित करते हुये जैसे ही परिक्षेत्र का स्टॉक मैपिंग कार्य पूर्ण होता है तत्काल एकजाई अतिक्रमित वनक्षेत्र की जानकारी कक्षवार मय नक्शे के परिक्षेत्रवार वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय को उपलब्ध करायें।

108
10-2-09

3 कार्य आयोजना अधिकारी से एकजाई प्राप्त अतिक्रमण वनक्षेत्र की जानकारी का वनमण्डलाधिकारी मौके पर परीक्षण कर संशोधित मान्य अतिक्रमण क्षेत्र की जानकारी कक्षवार नक्शे पर अंकित कर कार्य आयोजना अधिकारी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायेगें । यदि इस जानकारी एवं कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में 20 प्रतिशत से अधिक अन्तर है तो अतिक्रमण वनक्षेत्र का कार्य आयोजना अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी के द्वारा संयुक्त परीक्षण/निरीक्षण कर अतिक्रमण वनक्षेत्र की जानकारी तैयार की जावेगीं।

4 संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) का यह दायित्व होगा कि परिक्षेत्रवार अतिक्रमण से संबंधित जानकारी कार्य आयोजना अधिकारी को प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में 35 बिन्दुओं की जानकारी के साथ प्राप्त हो जाये। कार्य आयोजना में सम्मिलित की जा रही अतिक्रमण से संबंधित जानकारी का भी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) यथा संभव अपने स्तर से भी परीक्षण करेंगें। परीक्षण के उपरान्त ही यह जानकारी कार्य आयोजना में सम्मिलित की जाये।

5 वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)से प्राप्त संशोधित अतिक्रमण क्षेत्र के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जो कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा स्टॉक मैपिंग में अतिक्रमण जैसे क्षेत्र पाये गये है, को मौके की स्थिति के अनुसार रिक्त क्षेत्र या संनिधि के रूप में कार्य आयोजना के मानचित्र में दर्शाया जावेगा।

6 कार्य आयोजना अधिकारी संनिधि मानचित्रण के दौरान ऐसे क्षेत्र जहां पर पूर्व में अतिक्रमण किये जाने के साक्ष्य मौके पर उपलब्ध है उन्हें मानचित्र में अतिक्रमण के लिये संवेदनशील क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाना चाहिये।

उपरोक्त निर्देशों का पालन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) तथा मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय वृत्त) निरंतर समीक्षा कर सुनिश्चित करेगे।

30/1/09

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ क्रमांक /मा0चि0/2009/79/ 117 भोपाल, दिनांक 2/2/09

प्रतिलिपिः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू–अभिलेख) मध्यप्रदेश।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल/इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, जबलपुर को सूचनार्थ।

30/1/09

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश